प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण

अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,

गाजियाबाद।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–7 **लखनऊ : दिनांक : 15 मार्च, 2024**

विषय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी (निःसंवर्गीय) के एक अस्थायी पद का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वर्गीय गोर्की, नगर नियोजक, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या के दिनांक 14.03.2023 को आकस्मिक निधन के कारण मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत उनकी पत्नी श्रीमती कनिका कौशिक को सेवायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदक्रम में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद में विशेष कार्याधिकारी (निःसंवर्गीय) का एक अस्थायी पद पे मैट्रिक्स लेवल–8 में राज्यपाल महोदया इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से अथवा सृजित पद पर तैनाती की तिथि से जो भी बाद में हो, दिनांक 28.02.2025 तक निम्न शर्तों के अधीन सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :–

(1) सृजित पद के पदधारक द्वारा त्याग पत्र देने अथवा अन्य किसी विभाग में जाने अथवा उनकी मृत्यु होने अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होने पर यह सृजित पद उसी तिथि को स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(2) सृजित पद का समस्त व्यय–भार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद अपने स्रोतों से वहन करेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–E–8–1393–X–2023–24 दिनांक 14.03.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

Digitally Signed by डॉ०
नितिन रमेश गोकर्ण
Date: 14-03-2024 18:46:21
Reason: Approved

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव

<u>**संख्या एवं दिनांक तदैव।**</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

(3) अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
(4) जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
(5) मण्डलायुक्त, मेरठ।
(6) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8, उ0प्र0 शासन।
(8) आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव